

लोक अदालतें क्या हैं ?



- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर-कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकदमें ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकदमें के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।



विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय / प्राधिकरण / ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।



निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार / बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।



Thomas Alvares & Associates

Advocates

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील –

जनपद –

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा
निवासी विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

- (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
- (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
- (ग) स्त्री या बालक
- (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
- (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
- (च) औद्योगिक कर्मकार
- (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
- (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

- (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
- (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
- (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
- (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
- (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

